2016 का विधेयक संख्यांक 211

[दि इमप्लाइज कमपेंसेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 17क का अंतःस्थापन ।

1923 का 8

2. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

नियोजक का कर्मचारी को उसके अधिकारों की जानकारी देने का कर्तव्य ।

"17क. प्रत्येक नियोजक, किसी कर्मचारी के नियोजन के समय तत्काल, कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की लिखित में और इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या नियोजन के क्षेत्र की राजभाषा में जो कर्मचारी समझता हो, जानकारी देगा ।" ।

धारा 18क का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (घ) में, "के अधीन अपेक्षित है" शब्दों के स्थान पर "के अधीन अपेक्षित है, या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) कर्मचारी को ऐसे प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की जानकारी देने में असफल रहेगा जो धारा 17क के अधीन अपेक्षित है,";

(iii) दीर्घ पंक्ति में "जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 30 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक में "तीन सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 30क का लोप ।

5. मूल अधिनियम की धारा 30क का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को, औद्योगिक दुर्घटनाओं द्वारा हुई क्षति, जिनके अंतर्गत नियोजन से उदभूत और उसके अनुक्रम में कतिपय उपजीविकाजन्य ऐसे रोग भी हैं, जिनके परिणामस्वरूप मृत्यु या निःशक्तता होती है, की दशा में प्रतिकर का संदाय किए जाने के बारे में उपबंधित है ।

2. भारत के विधि आयोग ने अपनी 1974 की 62वीं रिपोर्ट और 1989 की 134वीं रिपोर्ट में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के विभिन्न उपबंधों का पुनर्विलोकन या संशोधन करने अथवा उन्हें निरसित करने की सिफारिश की थी । भारत के विधि आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है ।

3. अब, उपरोक्त रिपोर्टों में अंतर्विष्ट विधि आयोग की अन्य सिफारिशों पर आधारित, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में निम्नलिखित और संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात् :--

(क) नियोजक द्वारा कर्मचारी को अधिनियम के अधीन प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों के बारे में, लिखित में और इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, जानकारी देने के लिए आबद्धकर बनाना ;

(ख) अधिनियम के अधीन भिन्न-भिन्न अतिक्रमणों के लिए शास्ति की विद्यमान रकम को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए करना, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ;

(ग) नियोजक को, उसके कर्मचारी को अधिनियम के अधीन प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों के बारे में जानकारी देने में असफल रहने पर, शास्ति के लिए दायी ठहराना ;

(घ) ऐसे विवाद में अंतर्वलित न्यूनतम रकम को, जिसके लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, विद्यमान तीन सौ रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम करना, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ङ) अधिनियम की धारा 30क का लोप करना, जो, जहां किसी नियोजक द्वारा उच्च न्यायालय में कोई अपील फाइल की जाती है, आयुक्त को, उसके पास निक्षिप्त किसी राशि का कर्मचारी को संदाय विधारित रखने के लिए सशक्त करती है । इस लोप से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन मामलों में, जहां नियोजक द्वारा अपील फाइल की गई है, ऐसी रकम केवल तभी विधारित रखी जा सकती है, जब उच्च न्यायालय द्वारा रोक आदेश या उस प्रभाव का कोई आदेश किया जाता है ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 जुलाई, 2016.

बंडारू दत्तात्रेय

उपाबंध

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम संख्यांक 8) से उद्धरण

* * * * * *

शास्तियां ।

18क. (1) जो कोई—

* * * * * *

(घ) वह विवरण देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह धारा 16 के अधीन अपेक्षित है,

वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अपीलें ।

30. (1) आयुक्त के निम्नलिखित आदेशों से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थात् :--

(क) प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करने वाला आदेश ;

(कक) धारा 4क के अधीन ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला आदेश ;

(ख) अर्धमासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इंकार करने वाला आदेश ;

(ग) मृत कर्मकार के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबंध करने वाला आदेश या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है, अनुज्ञात करने वाला आदेश ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन क्षतिपूर्ण की रकम के किसी दावे को अननुज्ञात या अनुज्ञात करने वाला आदेश ; अथवा

(ङ) करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबंध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा, आदेश :

परन्तु जब तक कि अपील में सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्वलित न हो, और खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम तीन सौ रुपए से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों ने आयुक्त के विनिश्चिय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई अपील नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा दिया गया इस भाव का प्रमाणपत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खंड (क) के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी ।

* * * * * *

30क. जहां कि नियोजक द्वारा धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपील करता है वहां आयुक्त अपने पास निक्षिप्त किसी भी राशि का संदाय, अपील का विनिश्चिय होने तक, विधारित रख सकेगा और, यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया हो तो, विधारित रखेगा ।

अपील का विनिश्चय होने तक कतिपय संदायों का विधारण ।

* * * * * *

GMGIPMRND—2054LS(CRC)—1-8-2016.